

प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

लखनऊ: दिनांक: 03 अक्टूबर, 2022

विषय:- उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपीनेडा के पत्र संख्या-2589/यूपीनेडा-जैव ऊर्जा नीति-2022/2022-23 दिनांक 24 अगस्त 2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा "उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022" संलग्नक के अनुसार निर्गत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी हैं। कृपया नीति में वर्णित व्यवस्थाओं के अनुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। साथ ही प्रख्यापित नीति की 300 प्रतियां शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यथा आवश्यकता इस नीति का अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं में भी अनुवाद कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

महेश कुमार गुप्ता
अपर मुख्य सचिव